

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क्र. 09/16

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 02.02.16

रामसिंह पुत्र श्री नवलसिंह गुर्जर आयु 32 वर्ष
व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम केथोदा थाना एण्डोरी
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

नरेन्द्र उर्फ लल्ला पुत्र वैजनाथ सिंह जाति तोमर
ठाकुर आयु 37 साल निवासी ग्राम बकनासा थाना
एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
वाहन स्वामी एवं चालक वाहन नं० एम.पी.-30-एम.वी.-5571

.....अनावेदक

आवेदक द्वारा श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।

अनावेदक द्वारा श्री के.के. शुक्ला अधिवक्ता।

// अधि-निर्णय //

(आज दिनांक 06.09.2017 को पारित)

- यह क्लेम याचिका मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-166 के तहत दिनांक 09.06.15 को बरौना व पंजाबी पुरा के बीच आम रोड़ अंतर्गत थाना एण्डोरी में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में आवेदक रामसिंह को आई गंभीर चोटों से उत्पन्न स्थाई निशक्ता के फलस्वरूप अनावेदक से 2,60,000/-रुपए की क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।
- क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.06.15 को सुबह 05:00 बजे आवेदक रामसिंह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.एच.-1007 से अपने बहनोई जितेन्द्र गुर्जर के साथ अपने घर से मोटरसाइकिल चलाकर मालनपुर जा रहा था, जितेन्द्र पीछे बैठा था। जैसे ही बरौना से आगे पंजाबीपुरा के बीच पहुंचे, कि सामने से अनावेदक नरेन्द्र ने अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.पी.-5571 को तेजी व लापरवाही से चलाकर सामने से टक्कर मार दी, जिससे आवेदक को चोट

आई एवं उसका बांया पैर टूट गया। उसके बाद आवेदक ने अपने पिता नवल सिंह को फोन करके बताया, तब आवेदक के पिता नवलसिंह, जगदीश सिंह गुर्जर के साथ मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर आए तथा जगदीश जितेन्द्र एवं नवल सिंह आवेदक को मुरार ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां उसे भर्ती कराया और उसका इलाज चला। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट दिनांक 23.06.15 को आवेदक के पिता नवल सिंह ने थाना एण्डोरी में की, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दुर्घटना से पूर्व आवेदक कृषि एवं पशु पालन का कार्य करता था, जिससे उसे 20,000/-रुपए प्रतिमाह की आय होती थी। उक्त दुर्घटना से आवेदक का बांया पैर टूट गया और वह हमेशा के लिए अपंग हो गया। आवेदक के द्वारा प्राइवेट इलाज भी कराया गया, जिसमें काफी राशि खर्च हुई। दुर्घटना दिनांक को अनावेदक नरेन्द्र सिंह प्रश्नगत मोटरसाइकिल का स्वामी था तथा वहीं उसे चला रहा था। उक्त आधारों पर अनावेदक से 2,60,000/-रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. अनावेदक की ओर से आवेदक की क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदक के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर दिया गया है और यह अभिवचन किये गए हैं कि आवेदक के द्वारा बताई गई तथाकथित दिनांक 09.06.15 को सुबह 05:00 बजे अनावेदक अपने घर पर था और घर से कहीं नहीं गया। अनावेदक के द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। आवेदक के पिता के द्वारा अनावेदक के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है। आवेदक रामसिंह एवं उसके छोटे भाई श्यामसिंह द्वारा अनावेदक के साथ दिनांक 07.06.15 को ग्राम केथोदा के पास नीमडांडा से ग्राम बकनासा के रास्ते पर लगभग 12-01 बजे के बीच रास्ता रोककर उसके पर्स, जिसमें 7,000/-रुपए वोटर कार्ड तथा ड्रायविंग लाइसेंस था, आदि सामान छीनकर लूट लिया था। जिसकी रिपोर्ट अनावेदक के द्वारा तत्काल उसी दिन थाना एण्डोरी में लिखित आवेदन देकर की थी। जिस पर से पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, तब अनावेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड को एक लिखित आवेदन दिया गया था। इस लूट की शिकायत पर कार्यवाही होने के डर से आवेदक द्वारा अनावेदक के विरुद्ध यह झूठा अपराध बनवाकर क्लेम आवेदन पेश किया है। उक्त आधारों

पर क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. मेरे पूर्व विद्वान पदाधिकारी के द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गये, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या अनावेदक दिनांक 09.06.15 को सुबह करीब 05:00 बजे ग्राम बरौना व पंजाबी पुरा के बीच लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.बी.-5571 को उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आवेदक को दुर्घटना कारित की ?	अप्रमाणित।
2. क्या उक्त कथित दुर्घटना में आवेदक को स्थाई निशक्ताता आई है। यदि हां तो कितने प्रतिशत ?	अप्रमाणित।
3. क्या आवेदक, अनावेदक से उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आई क्षति की पूर्ति हेतु धन राशि प्राप्त करने का पात्र है, यदि हां तो कितनी ?	अप्रमाणित। गणना के उद्देश्य से 46,406/- रुपये की गणना की गयी।
4. अनुतोष ?	क्लेम याचिका निरस्त की गयी।

—:सकारण निष्कर्ष:—

वाद प्रश्न क्रमांक-01 :-

5. आवेदक रामसिंह आ0सा0-01 ने यह बताया है कि दिनांक 09.06.15 को सुबह 05:00 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.एच.-1007 से अपने बहनोई जितेन्द्र गुर्जर को साथ लेकर अपने घर से मोटरसाइकिल चलाकर मालनपुर जा रहा था, उसका बहनोई जितेन्द्र सिंह पीछे बैठा था, जैसे ही बरौना से आगे पंजाबीपुरा के बीच पहुंचे कि सामने से मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.बी.-5571 के चालक नरेन्द्र अनावेदक ने अपनी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी व लारपरवाही से चलाकर टक्कर मार दी, जिससे उसकी मोटरसाइकिल गिर गई तथा वह और उसका जीजा जितेन्द्र नीचे गिर गया, जिससे आवेदक के पैरों में जगह जगह चोटें आईं तथा उसका बायां पैर टूट गया।
6. रामसिंह आ0सा0-01 ने यह भी बताया है कि उसके बाद उसने अपने पिता नवलसिंह को फोन करके बताया, तब उसके पिता नवलसिंह ने साथ

ग्वालियर जाकर मुरार के सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा था। उसके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिस पर प्लास्टर भी चढ़ा था। इस कारण उसके पिता के द्वारा एण्डोरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रामसिंह आ०सा०-01 की उपरोक्त साक्ष्य का समर्थन जितेन्द्र सिंह आ०सा०-02 एवं आवेदक के पिता नवलसिंह आ०सा०-03 ने किया है।

7. वहीं इसके विपरीत अनावेदक नरेन्द्र सिंह अना०सा-01 ने यह बताया है कि उसके वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है और आवेदक ने झूठी कहानी बनाकर अनावेदक को गलत फंसवाया है। अनावेदक दिनांक 09.06.15 को सुबह 05:00 बजे अपने घर पर ही था और कहीं नहीं गया था। आवेदक के द्वारा घटना दिनांक 09.06.15 की बताई गई है। परंतु रामसिंह के पिता नवलसिंह के द्वारा पुलिस से सांठगांठ करके दिनांक 23.06.15 को थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई है और आवेदक की मोटरसाइकिल का नंबर लिखवा दिया है।

8. नरेन्द्र सिंह अना०सा-01 ने यह भी बताया है कि आवेदक एवं उसके छोटे भाई श्याम सिंह के द्वारा अनावेदक के साथ दिनांक 07.06.15 को ग्राम केथोदा के पास नीमडांडा से ग्राम बकनासा के रास्ते पर लगभग 12-01 बजे के बीच रास्ता रोककर उसका पर्स जिसमें 7,000/-रुपए थे, छीनकर लूट लिया था। जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा तत्काल उसी दिन थाना एण्डोरी में लिखित आवेदन देकर की थी। किंतु थाना एण्डोरी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब अनावेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड को एक लिखित आवेदन दिया था। इस लूट की शिकायत पर कार्यवाही होने के डर से आवेदक द्वारा उसके विरुद्ध यह झूठा एक्सीडेंट का मामला दर्ज करवा कर क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया है, जो असत्य एवं फर्जी तथ्यों पर आधारित होने से काबिले निरस्ती है। उसकी साक्ष्य का समर्थन पानसिंह अना०सा०-02 ने भी किया है।

9. आवेदक की ओर से अपने समर्थन में संबंधित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र०पी०-01 लगायत प्र०पी०-12 तथा बिल प्र०पी० 13 लगायत प्र०पी० 15 प्रस्तुत किए गए हैं। रामसिंह आ०सा०-01 ने पैरा-06 में यह स्वीकार किया है कि वह रिपोर्ट करने थाने नहीं गया था तथा उसका पैर टूटने के 14 दिन बाद उसके पिता द्वारा एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाई गई थी। पैरा-07 में यह बताया है कि 14 दिन की अवधि के बीच उसके पिता 3-4 बार थाने गए थे। परंतु पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी।

आवेदक के पिता नवल सिंह आ0सा0-03 ने पैरा-06 में यह बताया है कि वह दिनांक 10.06.15, 12 एवं 13.06.15 को व उसके बाद 2-3 बार थाने रिपोर्ट लिखाने गया था। उसकी रिपोर्ट घटना के 13-14 दिन बाद लिखी गई थी।

10. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-02 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 09.06.15 की सुबह 05:00 बजे की है। परंतु रिपोर्ट दिनांक 23.06.15 को 10:00 बजे लिखाई गई है। इस प्रकार घटना के लगभग 14वें दिन रिपोर्ट लिखाई गई है, कॉलम नंबर-08 में विलंब का कारण “ **अपने लड़के रामसिंह का ग्वालियर में इलाज कराने में रहने के कारण**” लिखा हुआ है। प्र0पी0-05 की एम.एल.सी. का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 10.06.15 को अर्थात् घटना के दूसरे दिन रामसिंह की प्री एम.एल.सी. की गई है। जिसमें फटा हुआ घाव एब्रेजन, सूजन एवं एब्रेजन होना पाया गया है। बाएं पैर के एक्सरे की सलाह दी गई है। एक्सरे रिपोर्ट आवेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। परंतु मामले में अभियोगपत्र में धारा-338 भा0दं0सं0 का इजाफा किया गया है, जिससे कि प्रकट है कि आवेदक को फ्रेक्चर कारित हुआ है। प्र0पी0-06 के डिस्चार्ज टिकिट की प्रतिलिपि से भी स्पष्ट है कि आवेदक को फ्रेक्चर होना पाया गया है।

11. आवेदक की ओर से ऐसा कोई मेडीकल दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि जिससे यह प्रकट हो कि आवेदक रामसिंह की अवस्था इतनी ज्यादा गंभीर थी कि उसके पिता या उसका बहनोई या उसकी बुआ का लडका जगदीश रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। दिनांक 09.06.15 को बाह्य रोगी उपचार पत्रक बना है। परंतु दूसरे दिन दिनांक 10.06.15 को एम.एल.सी. होने का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। एम.एल.सी. प्र0पी0-05 में चोटें 12 से 24 घंटे के मध्य की अवधि की होना बताई गई है। एम.एल.सी. प्र0पी0-05 में चोटें आर.टी.ए. अर्थात् रोड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट से होने का उल्लेख है। परंतु उक्त एम.एल.सी. में यह कतई नहीं बताया गया है कि एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ है।

12. इस प्रकार वाहन एवं उसका नम्बर दुर्घटना वाले दिन और उससे आगे के दिनों में उल्लेखित नहीं है। वाहन और चालक प्रथम बार प्रकाश में दिनांक 23.09.15 को सुबह 10:00 बजे आए हैं। जिसके विलंब का कारण ग्वालियर में इलाज कराते रहने का बताया गया है। परंतु यह स्पष्टीकरण

युक्तियुक्त कतई नहीं है क्योंकि आवेदक के अतिरिक्त तीन अन्य सदस्य भी हैं, जिनमें से किसी एक के द्वारा थाने पर दूसरे दिन या तीसरे दिन या उसी दिन रिपोर्ट कराई जा सकती थी।

13. रामसिंह अ०सा०-01 ने पैरा-07 में यह बताया है कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी, नवल सिंह आ०सा०-03 ने भी प्रतिपरीक्षण में पैरा-06 में यह बताया है कि घटना के 13-14 दिन बाद रिपोर्ट लिखाई गई है। परंतु इस दौरान उसके द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष या न्यायालय में क्या कार्यवाही की गई, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। आवेदक की ओर से रिपोर्ट विलंब से लिखने का कारण यह बताया गया है कि पुलिस ने रिपोर्ट समय पर नहीं लिखी। परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 में "इलाज कराते रहने" का कारण बताया है। इस प्रकार साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि आवेदन प्र०पी०-03 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 से कतई नहीं हो रही है।

14. दिनांक 23.06.15 से पूर्व प्रश्नगत मोटरसाइकिल एवं चालक प्रकाश में आए हों, ऐसा भी प्रकट नहीं है, जब 14 दिवस बाद प्र०पी०-03 का आवेदन थाना एण्डोरी को दिया गया था, तब उसके संबंध में पुलिस के द्वारा 14 दिवस के विलंब से प्रस्तुत होने पर आवेदन की कोई जांच भी नहीं कराई गई है। इस प्रकार मामले में अभियोगपत्र भले ही अनावेदक नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत कर दिया गया हो। परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखाए जाने का कोई भी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं है। इतने अधिक विलंब से वाहन का प्रकाश में आना स्वतः ही घटना को संदेह की परिधि में ले आता है कि वास्तव में उक्त दुर्घटना मोटर वाहन दुर्घटना थी अथवा अन्य प्रकार से कोई चोट आई है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखाए जाने के कारण तथा उसका युक्तियुक्त स्पष्टीकरण न होने से उक्त दुर्घटना होना प्रकट नहीं होता है।

15. क्लेम याचिका में यह बताया गया है कि आवेदक ने अपने पिता नवलसिंह को फोन कर बताया, तब नवल सिंह, जगदीश सिंह गुर्जर के साथ मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर आ गए तथा जगदीश, जितेन्द्र और नवलसिंह ने आवेदक को मुरार ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया था। जबकि रामसिंह आ०सा०-01 अपने मुख्यपरीक्षण में केवल नवल सिंह द्वारा मुरार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाना बताता है।

प्रतिपरीक्षण के पैरा-07 में भी वह यह कहता है कि उसके पिता स्वयं घटनास्थल से इलाज कराने ग्वालियर ले गए थे।

16. जितेन्द्र सिंह आ०सा०-02 भी मुख्यपरीक्षण में नवलसिंह के द्वारा रामसिंह के इलाज हेतु मुरार ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया जाना बताता है। पैरा-05 में वह कहता है कि उसके पिता आधे घंटे में घटनास्थल पर आ गए थे। नवलसिंह आ०सा०-03 अपने मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में पैरा-02 में स्वयं रामसिंह को इलाज हेतु भर्ती करवाना बताता है। वहीं प्रतिपरीक्षण के पैरा-06 में वह कहता है कि वह घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया था और सीधे अस्पताल पहुंचा था और वहीं उसे उसका लडका मिला था। रामसिंह आ०सा०-01 यह बताता है कि अपने पिता नवलसिंह को फोन करके बताया था। वहीं उसके पिता नवलसिंह आ०सा०-03 प्रतिपरीक्षण के पैरा-06 में यह कहता है कि उसे जगदीश ने फोन से घटना की सूचना दी थी और यह कहा था कि ग्वालियर अस्पताल आ जाओ।

17. इस प्रकार साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि आपस में भी एक दूसरे से नहीं हो रही हैं और उनकी साक्ष्य से क्लेम याचिका की भी पुष्टि नहीं हो रही है और उनकी साक्ष्य की पुष्टि पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-01 से भी नहीं हो रही है। रामसिंह आ०सा०-01 ने पैरा-05 में यह स्वीकार किया है कि वह अनावेदक नरेन्द्र सिंह को बचपन से जानता है, वह उसके साथ कक्षा आठवीं से पढ़ा है। आवेदक के पिता नवलसिंह आ०सा०-03 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-07 में यह स्वीकार किया है कि अनावेदक नरेन्द्र सिंह के द्वारा उसके लडके अर्थात् आवेदक रामसिंह के विरुद्ध घटना से 4-6 दिन पहले थाना एण्डोरी में शिकायत की थी।

18. इस प्रकार प्रकट है कि घटना के पूर्व ही अनावेदक के द्वारा आवेदक की शिकायत पुलिस को की गई थी और उसके बाद एक्सीडेंट की घटना बताई गई है। चालक व मोटरसाईकिल को जानते हुये कहीं भी चालक का नाम व मोटरसाईकिल का क्रमांक नवल सिंह के द्वारा नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में नरेन्द्र अना०सा०-01 एवं पानसिंह अना०सा०-02 की साक्ष्य विश्वसनीय प्रकट होती है कि नरेन्द्र सिंह के वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित नहीं होता है कि अनावेदक ने दिनांक 09.06.15 को सुबह 05:00 बजे ग्राम बरौना व पंजाबीपुरा

के बीच लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.बी.-5571 को उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की।

वादप्रश्न क्रमांक 02:-

19. रामसिंह आ0सा0701 ने मुख्यपरीक्षण में पैरा-03 में यह बताया है कि उसका पैर अपंग हो गया है। हड्डी टूट जाने से उसका पैर छोटा हो गया है और वह अब काम करने के लायक नहीं रहा है। परंतु आवेदक की ओर से इस संबंध में कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि उसे स्थाई निशक्तता कारित हुई है। उसकी ओर से कोई स्थाई निशक्तता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त दुर्घटना में आवेदक को स्थाई निशक्तता कारित हुई। अपितु यह प्रमाणित होता है कि उक्त दुर्घटना में आवेदक को फ्रेक्चर होकर गंभीर उपहति कारित हुई।

वादप्रश्न क्रमांक 03:-

20. डिस्चार्ज टिकट के अनुसार आवेदक दिनांक 06.06.15 से 23.06.15 तक सरकारी अस्पताल में भर्ती रहा है। जहां उसका इलाज हुआ है। इस प्रकार आवेदक 15 दिवस भर्ती रहा है। विशेष आहार तथा परिवहन व आवागमन के मद में 7,000/-रुपए की राशि की गणना की जाती है। चूंकि आवेदक को फ्रेक्चर कारित हुआ है। अतः वह अपने सामान्य कार्य करने से लगभग तीन माह तक विरत रहा होगा और इस अवधि में उसे निश्चित तौर पर अटेण्डर की आवश्यकता रही होगी और किसी न किसी ने अटेण्ड किया होगा। अतः ऐसी स्थिति में अटेण्डर के मद में 3,000/-रुपए की राशि की गणना की गई। शरीरिक पीड़ा एवं मानसिक वेदना के मद में 20,000/-रुपए की राशि की गणना की गई।
21. रामसिंह आ0सा0-01 ने कृषि एवं पशु पालन करके 20,000/-रुपए प्रति माह की आय अर्जित करना बताया है। परंतु प्रतिपरीक्षण में पैरा-10 में दूध बेचने का कार्य करना भी बताया है। इस प्रकार उसकी क्लेम याचिका के तथ्यों की पुष्टि उसकी साक्ष्य से नहीं हो रही है। आवेदक की खेती की जमीन से संबंधित कोई राजस्व के दस्तावेज खसरा, खतौनी आदि प्रस्तुत नहीं की गई है। तब यह भी मान्य नहीं किया जा सकता कि वह खेती का कार्य करता है। इस प्रकार आवेदक की आय कृषि व पशुपालन से बीस

हजार रुपये प्रति माह की होना प्रमाणित नहीं होता है।

22. वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर अकुशल श्रमिक के हिसाब से लगाए तथा यह भी मान्य करे कि कम से कम 20-25 दिवस कार्य करता है। तब भी कम से कम 5,000/-रु. आय प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर तथा मंहगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक की मासिक आय 5,000/-रु. मान्य की जाती है। इस प्रकार तीन माह की आय की हानि के मद में 15,000/-रुपए की राशि की गणना की गई।
23. इलाज के व्यय की गणना किया जाना न्यायोचित है। इलाज के व्यय के रूप में प्र०पी० 13 का कैश मेमो 681/- रुपये का, प्र०पी० 13 की रशीद ओटी चार्ज की है जो 500/- रुपये की एवं प्र०पी० 15 की रशीद बेड चार्ज की है, जो 225/- रुपये की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई बिल प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उक्त कुल राशि 1,406/- रुपये की है जिसकी इलाज के व्यय के रूप में गणना की गयी।

24. अतः क्षतिपूर्ति राशि की गणना निम्न प्रकार की गई:-

क्रमांक	मद	राशि
1.	आय की हानि	15,000 / -
2.	विशेष आहार तथा परिवहन व आवागमन के मद में	7,000 / -
3.	अटेण्डर के मद में	3,000 / -
4.	शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक वेदना के मद में	20,000 / -
5.	इलाज का व्यय	1,406 / -
कुल क्षतिपूर्ति राशि		46,406 / -

वादप्रश्न क्रमांक 04 :-सहायता एवं वाद व्यय

25. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अनावेदक ने दिनांक 09.06.17 को सुबह 05:00 बजे या उसके लगभग बरौना व पंजाबीपुरा के बीच लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.बी.-5571 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.एच.-1007 को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिससे आवेदक को गंभीर चोट आई या स्थाई निशक्तता कारित हुई। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक अपनी क्लेम याचिका को

प्रमाणित करने में असफल रहा है। इस कारण वह अनावेदक से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

26. फलस्वरूप यह अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. यह क्लेम याचिका निरस्त की जाती है।
2. उभयपक्ष अपना-अपना वादव्यय वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 1,000/-रुपए लगाया जावे।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)